

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226249 CG-DL-E-30032021-226249

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

No. 106]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

सं. 47 / 2015-2020

विषय : राजकोषीय वर्ष 2021–2022 हेतु 1.5 लाख मी.ट. मूंग और 4 लाख मी.ट. तूर के आयात हेतु तौर–तरीके।

फा. सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2(क)/पार्ट-IV/ई-5168.—दिनांक 19 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. सा.आ. 1266 (अ) द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1.5 लाख मी.ट. मूंग और 4 लाख मी.ट. तूर के वार्षिक कोटा हेतु आयात की अनुमित दी है। इसके अलावा दिनांकः 26 मार्च, 2021 की अधिसूचना सा. आ. 1372 (अ) द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान 04 लाख मी.ट. के वार्षिक कोटा हेतु उड़द के आयात की अनुमित दी है। उपर्युक्त अधिसूचना की नीतिगत शर्त में कहा गया है कि आयात केवल मिलर्स/रिफाइनर्स/ट्रेडर्स को अनुमत होगा और इसे डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार एक अल्गोरिदम आधारित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आंवेदकों की पूर्व-निर्धारित संख्या हेतु समान रूप से आवंटित किया जाएगा।

- 2. तदनुसार, डीजीएफटी की एफटीपी 2015—20 के एएनएफ—2ड के अनुसार इसके आयात हेतु दालों के इच्छुक मिलर्स / रिफाइनर्स / ट्रेडर्स से ऑनलाइन आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है। आवेदक डीजीएफटी वेबसाईट में → सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → प्रतिबंधित आयातों हेतु लाइसेंस पर जा कर आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है।
- 3. ई—मेल अथवा डाक द्वारा आवेदन की प्रति भेजने की कोई आवश्यकता नही है। डाक / कूरियर द्वारा किसी मैनुअल आवेदन अथवा ई—मेल के माध्यम से आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

1939 GI/2021 (1)

- 4. एक आईईसी के अंतर्गत केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। आईईसी जारी होने की तिथि उस अधिसूचना की तिथि से पहले की होनी चाहिए जिसके लिए आवेदक आवेदन कर रहा है आवेदक प्रत्येक मद के लिए अलग से आवेदन करेगा।
- 5. सक्षम प्राधिकारी इस मामले में प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर जिन्हें कोटा संवितरित किया जाएगा उन आवेदकों की संख्या पर निर्णय करेगा। अल्गोरिदम आधारित लॉटरी प्रणाली जिन्हें कोटा समान रुप से संवितरित किया जाएगा या जिन्होंने आवेदन किया है जो भी कम हो उनमें से आवेदकों का चयन करेगी।
- 6. आवेदन को प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2021 को सायं 1700 बजे तक है। कुल उपलब्ध कोटा को पात्र मिलर्स/रिफाइनर्स/ट्रेडर्स के बीच एक अल्गोरिदम आधारित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवेदकों की पूर्व–निर्धारित संख्या में समान रूप से संवितरित किया जाएगा।
- 7. कृपया यह नोट किया जाए कि वर्ष 2021–22 हेतु मूंग, तूर और उड़द का वार्षिक कोटा क्रमशः 1.5 लाख मीट्रिक टन, 4 लाख मीट्रिक टन और 4 लाख मीट्रिक टन है और यह आवंटन की तिथि से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगा। तदनुसार सफल आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मूंग, तूर और उड़द के आयात की खेप भारतीय पत्तनों पर 31.03.2022 को अथवा इससे पूर्व पहुंच जाए। आवंटित कोटे के 50 प्रतिशत से कम आयात करने वाले आयातकों को तदनुरुपी वर्ष में आवंटन हेतु आवेदन करने से वंचित किया जाएगा। समय सीमा को बढ़ाने हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th March, 2021

No. 47/2015-20

Subject: Procedure / modalities for import of 1.5 Lakh MT of Moong, 4 Lakh MT of Tur and 4 Lakh MT of Urad for the fiscal year 2021–2022.

- **F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-IV/E-5168.**—Ministry of Commerce and Industry vide Notification S.O.1266 (E) dated 19th March, 2021 has allowed import for an annual quota of 1.5 Lakh MT of Moong and 4 Lakh MT of Tur during the fiscal year 2021-22. Further, the Ministry of Commerce and Industry vide Notification S.O.1372 (E) dated 26th March, 2021 has allowed import for an annual quota of 4 Lakh MT of Urad during the fiscal year 2021-22. The Policy Condition in the above notifications lays down that the import shall be allowed to the Millers/Refiners/Traders and will be allocated equally to pre-determined numbers of applicant through an algorithm based lottery system, as per procedure to be notified by DGFT.
- 2. Accordingly, applications are invited online from the intending millers/refiners/traders of pulses for import of Moong, Tur, and Urad as per ANF-2 M of FTP 2015-20 of DGFT. Separate applications are required to be submitted for import of Moong, Tur and Urad. The applicant may file applications online by visiting the DGFT website → Services → Import Management System → Licence for Restricted Imports.
- 3. There is no requirement of sending copy of the application via e- mail or by post. Any manual application_by Post/Courier or via e-mail will not be entertained.
- 4. Only one application against one IEC will be considered. The date of issuance of IEC of the applicant should be prior to the date of Notification for which the applicant is applying. Applicants will submit separate applications for each item.
- 5. The Competent Authority will decide the number of applicants amongst which the quota will be distributed, depending on the number of applications received in the matter. The algorithm based

- lottery system will select the applicants amongst which the quota will be distributed equally or as applied for, whichever is less.
- 6. The last date for submission of application is upto 1700 hours on 15th April, 2021. The total available quota will be distributed equally to pre-determined numbers of applicants through an algorithm based lottery system amongst eligible millers/refiners/ traders.
- 7. It may kindly be noted that annual quota of Moong, Tur and Urad for the year 2021- 22 is 1.5 Lakh MT, 4 Lakh MT, and 4 Lakh MT, respectively and will be effective from the date of allotment to 31st March 2022. Accordingly, successful applicants will have to ensure that the import consignments of Moong, Tur and Urad reach the Indian ports on or before 31.03.2022. Importers importing less than 50% of the allotted quota will be debarred from applying for allocation in the subsequent year. Request for extension of time will not be entertained.

This issues with the approval of Competent Authority.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.